फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कैसे बनाये?

PART III

ACTION RESEARCH & RESOURCE CENTRE

श्रेय

फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कैसे बनाये?
फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग रिपोर्ट किसी घटना का सच दर्ज करने वाली लिखित रिपोर्ट होती है, जिसमें यह साफ़ बताया जाता है कि घटना कब, कहाँ और कैसे हुई और उससे जुड़े लोग कौन थे। यह रिपोर्ट कही सुनी बातों पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और गवाहियों पर आधारित होती है।

चित्रण, डिजाइन और लेआउट
कवी गंगार

अनुसंधान और संकलन
वंशिका मोहता, मंगला वर्मा, विपुल कुमार, कवी गंगार

अगस्त 2025 में नई दिल्ली में पार्ट 3 फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित

© पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर, पार्ट 3 फाउंडेशन का एक कार्यक्रम है। यह पुस्तिका पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर की संपत्ति है। इसका कोई भी हिस्सा किसी भी व्यावसायिक हितों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से साझा, पढ़ा, इस्तेमाल और काम किया जा सकता है - अपने प्रयास में यदि आप हमें आभार व्यक्त करें तो हमें अच्छा लगेगा। यह पुस्तिका पार्ट III टीम का एक सामूहिक प्रयास है। इस पुस्तिका पर आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा।

आप सभी पत्राचार को निम्न पते पर भेज सकते हैं:
पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर
दिल्ली: पी-60, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-पी, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली - 110019

ईमेल: contact@part-three.org

विषय सूची	पृष्ठ
फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग रिपोर्ट क्या है?	1
फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग क्यों ज़रूरी और ताक़तवर है?	2-4
फैक्ट फाइंडिंग कौन कर सकता है?	5
फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का प्रारूप	6-11
फैक्ट फाइंडिंग करते वक़्त इन चीज़ों का ध्यान रखे	11-15

फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग रिपोर्ट क्या है?

एक लिखित रिपोर्ट

घटना या अपराध का दस्तावेज़

दस्तावेज़ - पक्के सबूत और गवाहों पर आधारित

व्यक्तिगत राय और कही-सुनी बातों का दस्तावेज़ नहीं होता

फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग रिपोर्ट की प्रक्रिया

घटना या मुद्दे को चुनना

घटना / अपराध की जगह पर जाना और जांच करना

पीड़ित, उसके परिवार और समुदाय के लोगों से बात करना

ज़रूरी दस्तावेज़, फोटो और सरकारी रिकॉर्ड इकट्ठा करना

अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी को आपस में मिलाकर देखना।

जो बातें सामने आईं, उन्हें साफ़ और क्रम से लिखना

फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग क्यों ज़रूरी और ताक़तवर है?

हमारे समाज में, ख़ासतौर से दलित और हाशिए पर खड़े समुदायों के साथ होने वाली घटनाओं को अक्सर दबा दिया जाता है या तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है। कई बार पुलिस रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती, या फिर ऐसी रिपोर्ट बनाती है जिसमें असली सच छुप जाता है। ऐसे समय में फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग वह औज़ार है जो सच्चाई को दर्ज करता है - पीड़ित और समुदाय की आवाज़ में, और सबूतों के साथ। यह रिपोर्ट एक आधिकारिक रिकॉर्ड का रूप लेती है , जिससे सच्चाई को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग इसलिए भी ताक़तवर है क्योंकि - आम तौर पर किसी घटना की आधिकारिक कहानी पुलिस, अफ़सरों या मीडिया से बनती है, लेकिन ये कहानियाँ अक्सर अधूरी या पक्षपाती होती हैं। फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग रिपोर्ट इन पर सवाल उठाती है और ज़मीन से मिले ठोस सबूत सामने रखती है। इसका असर यह होता है कि पुलिस हो, प्रशासन हो, मीडिया हो या समाज - सबको असली सच पर ध्यान देना पड़ता है, न कि सिर्फ़ अधिकारियो की बताई हुई बातों पर।

इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अलग-अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। यह अदालत में केस को मज़बूत करती है, एससी/एसटी एक्ट जैसे क़ानूनों के तहत मुआवज़ा दिलवाने में मदद करती है, झूठे आरोपों का जवाब देती है और अधिकारियों को उनकी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर करती है। यानी यह सिर्फ़ सच दिखाने का नहीं, बल्कि न्याय पाने का औज़ार भी है।

फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग क्यों ज़रूरी और ताक़तवर है?

लेकिन इसकी ताक़त यहीं तक सीमित नहीं है। फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग एक आंदोलन का हिस्सा भी है। जब समुदाय, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लीडर्स और कार्यकर्ता, वकील और कभी-कभी पत्रकार मिलकर सच्चाई की पड़ताल करते हैं, तो यह प्रक्रिया खुद ही लोगों को जागरूक और संगठित करती है। लोग सीखते हैं कि अन्याय को पहचानना कैसे है, सही सवाल कैसे पूछने हैं और अपने हक़ की मांग कैसे करनी है। और जब ऐसी रिपोर्टें सार्वजनिक होती हैं, तो वे सरकार पर दबाव बनाती हैं, नीतियों को प्रभावित करती हैं और दूसरे आंदोलनों को भी ताक़त देती हैं।

इतिहास में हमने देखा है कि फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग रिपोर्टों ने कई बड़े अन्याय उजागर किए हैं। त्सुंडुरु मस्साक्रे (1991) जैसी घटनाओं पर बनी रिपोर्टों ने न सिर्फ़ उन घटनाओं को दर्ज किया, बल्कि यह भी दिखाया कि यह हिंसा एकाकी नहीं थी - यह एक बड़ी व्यवस्था और लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव का हिस्सा थी। इन रिपोर्टों से समाज में बहस हुई, लोगों की समझ गहरी हुई और कार्रवाई की माँग तेज़ हुई। वहीं, स्थानीय स्तर पर भी छोटी-छोटी रिपोर्टों ने परिवारों को मुआवज़ा दिलवाने, FIR दर्ज करवाने और दोषियों पर कार्रवाई करवाने में मदद की है।

यानी, फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग सिर्फ़ घटनाओं का ब्यौरा भर नहीं है। यह सच को इस रूप में सामने लाने का तरीका है जिससे न्याय की लड़ाई मज़बूत होती है, समुदाय की आवाज़ और बुलंद होती है और सत्ता से जवाबदेही माँगने की ताक़त मिलती है।

फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग क्यों ज़रूरी और ताक़तवर है?

बिना पक्षपात के, भरोसेमंद रिकॉर्ड

पारदर्शिता और जवाबदेही तय करता है

वकील, पत्रकार और अधिकारी - सबको असलियत समझने में मदद करता है।

आंदोलन का औजार

सच के ज़रिए समुदाय की आवाज़ मज़बूत करता है

फैक्ट फाइंडिंग कौन कर सकता है?

- ज़रूरी यह है कि फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग करने वाला व्यक्ति ईमानदारी से काम करे, पक्षपात से बचे, और पीड़ित या गवाहों की सुरक्षा व गरिमा का पूरा ध्यान रखे।
- सही प्रशिक्षण और थोड़ी तैयारी के साथ, आम लोग भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर अपनी और अपने समुदाय की आवाज़ मज़बूत कर सकते हैं।
- यदि आप आम आदमी है तोह आपके द्वारा की गयी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए किसी सामजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, वकील, डॉक्टर, संगठन, या समूह को शामिल कर सकते है।

फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का प्रारूप

भाग 1

घटना के बारे में जानकारी लिखिए
*(*इसमें समय, तारीख, महीना, घटना का वर्ष, घटना के बारे में, और पीड़ित/उत्तरजीवी कौन है, और आरोपी व्यक्ति कौन है - इसके बारे में लिखिए।*)*

घटना का संदर्भ लिखिए
*(*इसमें क्षेत्र की जनसांख्यिकी *(*डेमोग्राफिक*)*, घटना क्षेत्र के सामाजिक - भौगोलिक - राजनतिैतिक एवं ऐतिहासक संदर्भ के बारे में जानकारी दीजिये।*)*

*(*इस भाग में पढ़ने वालो को इस घटना का महत्व और गंभीरता बताये। इस भाग को अक्सर प्राथमिक जानकारी इखट्टा करने और समझने के बाद ही लिखा जाता है। यदि सभंव हो तो इस क्षेत्र में यदि और भी इस प्रकार की घटना हुई है या आर्थिक-सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हो तो उसका भी उल्लेख किया जा सकता है। अगर फैक्ट फाइंडिगं या तथ्य-खोज के दौरान घटना से पहले भी किसी व्यक्तिगत या समाज के स्तर पर अगर "जमीन" या "श्रम" से ज़रुा कुछ विवाद रहा हो, तो उसका उल्लेख भी करना चाहिए।

यदि सभंव हो तो उस गांव या क्षेत्र का नक्शा, जहांघटना घटी हो, यदि नहीं, तो गांव और घर की कुछ तस्वीरें एकत्रित करके लगाना चाहिए।*)*

भाग 2

पीड़ित के तत्काल परिवार की सामाजिक और आर्थिकर्थि जानकारी लिखिए।

*(*इस भाग में परिवार में सारे सदस्यों का नाम, आयु, सभी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, काम करने वालों की संख्या और उनपर निर्भर रहने वालों की संख्या, मकान / घर किस किसम का है *(*कच्चा मकान या पक्का मकान*)*, रोज़गार, खुदकी कोई ज़मीन और सपंत्ति, मलू नागरिकता, इन सभी की जानकारी लिखिए*)*

भाग 3

घटना का विस्तार से विवरण कीजिये।
*(*इस भाग में घटना को बारीकी से ध्यान देके लिखिए - याद रखे*:* वोही जानकारी लिखिए जो पीड़ित, उनके परिवार, और गांव वालों ने बताई हो और यह जानकारी *FIR* में लिखी जानकारी से मेल खानी चाहिए। यदि परिवार और गांव के लोगो द्वारा दी गयी जानकारी *FIR* से मेल नहीं खाती, तो अलग जानकारी तब ही लिखिए जब परिवार भरोसे से कहते है की *FIR* गलत दर्ज की गयी है।

इस हिस्से को आख़िरी रूप देने से पहले किसी वकील से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, जो या तो इस मामले पर काम कर रहे हो या जिसे यह मामला अच्छी तरह समझ में आता हो।*)*

निचे दिए गए लोगो के बयां इस भाग में ज़रूर लिखिए -
1) पीड़ित के सभी परिवार सदस्यों का
2) गांव - मोहल्ले - बस्ती के चश्मदीद गवाहियों का *(*और अगर ममुकिन हो तो वीडियो*)*

ध्यान रखे*:* घटना आधारित जितनी भी जानकारी इखट्ठा की गयी है - उसकी जाँच करे, पक्का करे की वह पूरा सच है और फिर ही उसे लिखे।

भाग 4

मीडिया और *NGO* / संस्था की भूमिका
इस भाग में किसी भी न्यूज़ में अगर घटना के बारे में दिखाया गया है तो उसके बारे में जानकारी लिखिए। साथ ही अगर किसी *NGO* / संस्था ने इस दौरान मदद या सहयोग दिया हो तोह उसकी भी जानकारी लिखिए।

1) न्यूज़ या मीडिया में आयी गयी खबर की लिंक भी इस भाग में दीजिये।
2) NGO / संस्था के सदस्यों की गवाही भी यहाँ लिखिए।

भाग 5

जांच करने वाली एजेंसियों और क़ानून से जुड़ी टीमों की भूमिका
*(*शुरुआती निष्कर्षों और लोगों की गवाही के आधार पर इस भाग में हमे जांच करने वाली। एजेंसियों और क़ानून की भूमिका के बारे में लिखना है।*)*

1. पुलिस की भमिूमिका पर परिवार और गांव वालों की गवाही।
2. पुलिस के अफसरों या कर्मचारियों ने इस घटना पर क्या कहा।
3. परिवार के लोग, फैक्ट फाइंडिंग टीम और अन्य ज़रूरी लोगों ने किन बातों पर शक या सवाल उठाए।

*(*इन सवालों से यह समझने में मदद मिल सकती है कि जांच में क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए और बाद में सिफ़ारिशों में क्या जोड़ना है।*)*

भाग 6

इस भाग में अब तक इस घटना में क्या जांच हुई है, उसका पूरा हाल लिखना है।

1. न्याय तक पहुंच: जैसे कि इस मामले में अगर पुलिस ने लापरवाही की है, तो उसे सामने लाना ज़रूरी है – ताकि आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और उसके लिए सिफ़ारिशें भी की जा सकें।
2. जांच और एफआईआर: अभी तक क्या जांच हुई है और एफआईआर दर्ज हुई या नहीं।
3. प्रक्रियाएं: दस्तावेज़ों में क्या-क्या लिखा गया है, और अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।
4. वर्तमान स्थिति: इस समय मामला कहां पहुंचा है और क्या हालात हैं।

भाग 7

इस मामले की वो ज़रूरी बातें जिन पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए

1. केस की जांच और कोर्ट की सुनवाई कैसी हुई है, इसके बारे में लिखिए।
2. अगर सरकार या समुदाय के लिए कोई सुझाव हैं, या अगर समुदाय ने सरकार को कुछ मांगें दी हैं, तो वो भी इसमें जोड़े जा सकते हैं (अगर हों तो)।

भाग 8

इस भाग में अगर ऐसी कोई ज़रूरी बातें हैं जो जांच की दिशा तय करने में मदद कर सकती हैं (अगर हों), तो उन्हें ज़रूर लिखा जाए।

1. अगर किसी जानकारी की अभी जांच करना मुश्किल है, लेकिन वो आगे की जांच में सामाजिक या सरकारी विभागों के लिए काम आ सकती है, तो उसे भी ज़रूर शामिल करें।
2. बस ध्यान रहे कि कोई भी अफ़वाह, बिना आधार की या झूठी बात न लिखी जाए - ऐसी बातें जांच को गुमराह कर सकती हैं।

भाग 9

सुझाव या मांगपत्र

(यह देना ज़रूरी नहीं, यदि हो तो ज़रूर लिखिए - यह एक प्रभावित हिस्सा है और इससे लिखना एक अछि आदत है।)

भाग 10

संलग्न दस्तावेज़ – जो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इकट्ठा किए हैं।

(यह हिस्सा आगे चल कर एक ज्ञान भंडार और सबूत का रूप ले सकती है - इसीलिए इसे लिखना ज़रूरी है।)

फैक्ट फाइंडिंग करते वक़्त इन चीज़ों का ध्यान रखे -

1. घटना का विवरण (परिवार की समझ के हिसाब से):

- करीबी या सबसे नज़दीकी परिवार के सदस्यों, समुदाय के गवाहों और स्थानीय लोगों से यह जानना कि असल में क्या हुआ था।
- घटना कब हुई, किस समय पर हुई - इसका पूरा टाइमलाइन समझना।
- हर परिवार वाले को ये बात कैसे पता चली, ये भी पूछना ज़रूरी है।
- जो जानकारी मिल रही है, वो कहां से आ रही है?
- क्या ये जानकारी भरोसेमंद लगती है, या और सबूत जुटाकर इसे और मजबूत किया जा सकता है?

2. कानूनी जानकारी (परिवार की समझ के हिसाब से):

- *FIR:* क्या *FIR* दर्ज हुई है? क्या परिवार के पास उसकी कॉपी है? क्या परिवार *FIR* में जो बातें लिखी गई हैं, उससे सहमत है? क्या *FIR* में वही आरोप लगे हैं जो घटना के मुताबिक सही लगते हैं?
- पोस्टमॉर्टम: क्या पोस्टमॉर्टम हुआ? क्या किसी खास मेडिकल टीम (पैनल) ने किया? क्या उसकी फोटो ली गई या वीडियो बनाया गया?
- बाकी जांच: क्या परिवार वालों और गवाहों के बयान लिए गए? क्या किसी चीज़ की बरामदगी या जब्ती हुई है?

2. कानूनी जानकारी (परिवार की समझ के हिसाब से):

- वकल: क्या परवार के पास वकल है? अगर है, तो क्या उन्ह वकल क मदद से संतोष है? वकल ने उन्ह क्या सलाह द है या आगे क्या करना है, ये बताया है?
- अपराध स्थल: क्या वारदात क जगह को सील या सुर त कया गया है? अगर हां, तो क्या उसक फोटो या दस्तावेज़ मौजूद ह?
- और सबूत या गवाह: अगर परवार को लगता है क कोई और गवाह या सबूत है जो केस म मदद कर सकता है, तो उसे ज़रूर इकट्ठा करके लखत रूप म दज कया जाना चाहए।

3. पीड़ित/उत्तरजीवी और परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति:

- परिवार के सदस्यों की उम्र, वे क्या काम करते हैं, उन पर कौन-कौन निर्भर है, उनका घर कैसा है, कमाई का ज़रिया क्या है, सालाना आमदनी कितनी है, उनके पास ज़मीन है या नहीं - इन सब बातों की जानकारी ज़रूरी है।
- इसके अलावा, ये भी समझना ज़रूरी है कि परिवार किन चीज़ों में कमजोर है - जैसे कि स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई, या कानूनी मदद की ज़रूरत।
- आरोपी (जिस पर आरोप है) की जानकारी भी ज़रूरी है - वो क्या काम करता है, उसकी जाति क्या है, उसका कितना असर है, और क्या उसके पास इतनी ताकत है कि वो कानून की सही प्रक्रिया को बिगाड़ सकता है? वो कहां और कितनी दूर रहता है?

4. संपर्क की जानकारी:

- परिवार के सदस्यों के नाम, फोन नंबर और पता (अगर ज़रूरी हो)
- वकील का नाम और संपर्क
- जो लोग इस मामले में शामिल हैं या मदद कर रहे हैं - जैसे समुदाय के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, या लीडर - उनकी जानकारी भी लिखनी चाहिए।

5. मुआवज़े की स्थिति:

- क्या परिवार को मुआवज़े के बारे में पता है? क्या इसके लिए कोई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है?

6. पीड़ित और आरोपी के बिच पहले से कोई झगड़ा? (यदि कोई हो तो)

- क्या पीड़ित और आरोपी के बीच पहले से कोई झगड़ा, दुश्मनी, या पुरानी रंजिश रही है?
- क्या गांव या समुदाय में इन लोगों के बीच पहले कभी लड़ाई-झगड़ा, ज़मीन विवाद, या कोई आपराधिक मामला हुआ है?

7. धमकी या डर:

- क्या पीड़ित परिवार को किसी ने धमकी दी है या डराया है? अगर हां, तो किसने? क्या उन्हें उनके पड़ोसी या समुदाय से कोई सपोर्ट मिल रहा है?

8. पुलिस की भूमिका:

- पुलिस ने क्या किया, इस बारे में परिवार की क्या राय है? और फैक्ट फाइंडिंग टीम को क्या समझ में आया?

9. कोई दूसरा पक्ष या उलझन:

- क्या इस केस को लेकर गांव या मीडिया में कोई दूसरा नजरिया या अफवाह फैल रही है, जिससे शक पैदा हो रहा हो?

10. परिवार की मांग:

- क्या परिवार सिर्फ मुआवज़ा चाहता है या मुआवज़ा के साथ न्याय भी चाहता है? क्या वे लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं?

11. गांव वालों की राय:

- घटना के बारे में गांव, पडोसी और समुदाय के दूसरे लोग क्या कह रहे हैं?

12. आगे की जांच या ज़रूरी कदम:

- अगर अभी समय की कमी के कारण कुछ जांच या दस्तावेज़ नहीं हो पाए हैं, तो उन्हें आगे ज़रूर किया जाए - ताकि वो पुलिस या दस्तावेज़ीकरण के लये आगे चलकर काम आ सके।

PART III

ACTION RESEARCH &
RESOURCE CENTRE

पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर मौलिक अधिकारों तक पहुँच और उनके प्रयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वर्तमान में, हमारा काम पहचान आधारित भेदभाव और हिंसा पर केंद्रित है। हमारा मानना है कि व्यक्तिगत हिंसा और भेदभाव की सभी घटनाएं समाज की संरचनात्मक और कार्यात्मक वास्तिवक्ताओं में निहित है और जब व्यवस्थागत उत्पीड़न से प्रभावित व्यक्ति / समुदाय बदलाव की अगुआई करते हैं तो संविधान परिवर्तनकारी न्याय का स्थल बन सकता है।

हम ज़मीनी स्तर के विचार क साथ एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाते हैं जहाँ कार्यवाही अनुसन्धान को सूचित करती है और अनुसन्धान कार्यवाही को सूचित करता है। हम कानूनी हस्तक्षेप, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और वकालत के माध्यम से न्याय, सम्मान और प्रणालीगत जवाबदेही कायम रखने के उनके प्रयास में समुदाय आधारित संगठनों के साथ-साथ प्रणालीगत और पहचान आधारित हिंसा के पीड़ितों के साथ मिलकर काम करते हैं।

यह किताब बताती है कि फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। इसे पार्ट थ्री फाउंडेशन ने हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया है।
इसका मकसद है लोगों को समझाना कि फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, कौन बना सकता है और इसे बनाने का सही तरीका क्या है। इसमें साफ़ कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट अफ़वाहों या अटकलों पर नहीं, बल्कि असली सबूत, गवाही और कागज़ात पर आधारित होती है।

पार्ट III के कार्यालय नई दिल्ली और पटना में हैं। हमारे काम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.part-three.org पर जाएं।